

न्यायालय तहसीलदार बयाना (भरतपुर)

(पीठारोीन अधिकाीर-श्री गिराज प्रसाद बंसल तहसीलदार बयाना)

प्र0सा0 91/20 ता0 रजु 6-1-20 किरम मुकदमा 91 एलआर एक्ट निर्णय दिनांक 4-2-2020

सरकार

बनाम

वासुदेव पुत्र तोताराद बागरी ब्राम्हण तह0 बयाना जिला-भरतपुर।
खरगवली

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। पटवारी हल्का खरगवली ने एक रिपोर्ट इसा आशय की पेश की है कि ग्राम खरगवली के खसरा न0 1939 रकवा 0.04 हैक्ट में से रकवा 0.04 हैक्ट किरम भूमि चारागाह पर रागवत 2076 में श्री वासुदेव पुत्र तोताराद बागरी ब्राम्हण तह0 बयाना ने सरकी कर अतिक्रमण कर लिया है। खरगवली

हल्का पटवारी रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण धारा 91 एलआरएक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। जो शामिल मिसिल है। अप्रार्थी द्वारा उपरिधत होकर अपना जबाब पेश किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन उपरान्त न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अप्रार्थी के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही अगल में लयी जाना आवश्यक है। अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से बेदखल करना राज्यहित में आवश्यक है।

अतः आदेश है कि अतिक्रमी के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही कर अतिक्रमित खसरा नम्बर 1939 रकवा 0.04 हैक्ट वाके ग्राम खरगवली से बेदखल किया जाता है। लगान 0.64 का 50 गुणा पैनल्टी राशि 32/- रूपये से दण्डित किया जाता है। पैनल्टी की मांग कायमी टी0आर0ए0 हाजा से कराई जाये। पैनल्टी वराली एवं फसल नीलामी हेतु पटवारी हल्का एवं भू-अभिलेख निरीक्षक को आदेश जारी हो।

पत्रावली फौसल शुमार हो। बाद तकमील नम्बर से कम हो। दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 4-2-2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

इस बयाना की मांग नामकी
4 के. सं. 04 के पेश नं 32
दिनांक 12/20
पैनल्टी 32/-
2019-20
नामकी
पटवारी
पटवारी न्यायालय
तहसीलदार

तहसीलदार
बयाना (भरतपुर)

